हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 फरवरी 1989

खण्ड 1, अंक 1

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 21 फरवरी, 1989

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण–	
(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1) 1
शोक प्रस्ताव	(1) 20
विभिन्न विषयों का उठाया जाना	(2) 29
घोषणाएं–	
(क) अध्यक्ष द्वारा–	
(1) पैनल औफ चेयरमैन	(1) 30
(2) कमेटी औन पैटीशन्ज	(1) 30
(ख) सचिव द्वारा–	
(1) राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी	(2) 30
(2) कांस्टीच्यूशन (62वाँ अमैंडमैंट) बिल, 1988 की रैटीफिकेशन सम्बन्धी	(1) 31
बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(1) 31

सदन की मेज पर रखे गए /पुनः रखे गए कागज पत्र	(1) 35
विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना–	
(1) श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जींद के विरुद्ध	(1) 37
(2) श्री इन्द्र सिंह नैन तथा भी भले राम, भूतपूर्व एम० एल० एज० के विरूद्ध	(1) 38
(3) साप्ताहिक पींग के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक श्री डी० आर० चौधरी के विरूद्ध	(1) 39
(4) मैसर्ज जिन्दल इरीगेशन लिमिटिड, भिवानी के श्री राजेन्द्र चौधरी तथा फर्म, अर्थात मैसर्ज जिन्दल ऐल्युमिनियम लिमिटिड तथा जिन्दल इरीगेशन लिमिटिड, बंगलौर के मालिक तथा प्रबन्ध निदेशक, श्री सीता राम जिन्दल के विरुद्ध	(1) 40

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 21 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में 15.50 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल का अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, हरियाणा विधान सभा के रुल्ल औफ प्रौसीजर एण्ड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 18 के अनुसार मैंने आपको यह सूचना देनी है कि कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल 176 (1) के अनुसार राज्यपाल महोदय ने आज 21 फरवरी, 1989 को 2–00 बजे बाद दोपहर हरियाणा विधान सभा के सामने ऐड्रैस देने की कृपा की है।

ऐड्रैस की एक कापी टेबल औफ दि हाउस पर रखी जाती है।

''माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

मुझे हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के प्रथम अधिवेशन में आप सबका स्वागत करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता हो

रही है। हरियाणा की जनता की सेवा में आपके लगातार प्रयास के लिए मेरी शुभ–कामनाएं हैं।

2. प्रशासन द्वारा निरन्तर चौकसी रखने के कारण राज्य में कानून और व्यक्का की स्थिति वर्ष भर प्रायरू शान्तिपूर्ण रही है। विद्यार्थियों, श्रमिकों, सरकारी कर्मचारियों और राजनैतिक दलों द्वारा कोई विशेष आन्दोलन नहीं किया गया था। तथापि, वर्ष 1988 के दौरान, आतंकवादियों ने थानेसर, पेहोवा, पानीपत और कैथल में सामूहिक हत्याएं कीं। अम्बाला, शाहबाद और पंचकूला में भी कुछ छिटफुट घटनाएं हुई हैं। उन्होंने अति आधुनिक हथियारों और देसी बमों का प्रयोग किया। पुलिस, आतंकवाद और विनाशकारी गतिविधियो की रोकथाम अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी मामलों का पता लगाने में सफल रही है। वर्ष के दौरान आतंकवादी अपराधों में ग्रस्त अथवा आतंकवादियों को आश्रय देने वाले 103 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है और 10 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। आतंकवाद और विनाशकारी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की छानबीन के लिए विशेष जांच पड़ताल दल बनाए गए हैं और इन मामलों के अभियोजनों का राज्य स्तर पर पूर्ण रूप से परिवीक्षण किया जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने आतंकवाद के भय को समाप्त करने के लिए विभिन्न अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कदम उठाए हैं। वर्ष के दौरान छः नई कमाण्डो कम्पनियां और बढ़ा दी गई हैं। ये

कमाण्डो अपना मूल प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् कमाण्डो दांव–पेचों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहैं हैं। पुलिस आधुनिकी–करण स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दी गई 50 लाख रुपये की रकम से 36 जीपें और 46 मोटर–साईकल खरीदे गए हैं। आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नवीनतम हथियारों का मुकाबला करने के लिए राज्य पुलिस को प्रभावशाली ढंग से मार करने वाले अस्त्र–शस्त्रों से लैस करना होगा। हरियाणा पुलिस को आधुनिक हथियार सप्लाई करने के लिए मेरी सरकार भारत सरकार से सक्रिय बातचीत कर रही है। राज्य के विभिन्न भागों में हुई बम्ब विस्फोट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए चार बम्ब–विनाशक दस्तों का गठन भी किया गया है। दूरस्थ तथा नाजुक क्षेत्रों में चौकसी नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए 22 आतंकवाद रोकथाम–कक्षों की स्थापना की गई है। राज्य में अपराध, कानून और व्यवस्था की स्थिति समूचे तौर पर नियन्त्रण में रही है।

3. गत वर्ष के असाधारण सूखे के बाद पिछले मौनसून के दौरान भारी वर्षा हुई। मारकण्डा, घग्गर, यमुना और टांगरी जैसी मुख्य नदियों के आस–पास के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण इन नदियों से अधिक निकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इन नदियों के किनारों और इन पर स्थित ठोकरों को भारी नुकसान हुआ और साथ ही सड्कों और आबादियों को भी क्षति पहुंची। अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, जीन्द, सिरसा, हिसार,

फरीदाबाद और सोनीपत के आठ जिले बाद से बुरी तरह से प्रभावित हुए। राज्य सरकार ने बाढ़ आने पर राहत और बचाव कार्य तुरन्त शुरु कर दिए और प्रभावित लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से 192.10 करोड़ रुपए की सहायता देने का आग्रह किया, परन्तु केन्द्र सरकार ने केवल 32.14 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया। इस राशि के अतिरिक्त 2.54 करोड़ रुपए की राशि रिंग बान्धों की मुरम्मत, आबादियों से पानी निकालने, पम्पिंग सैटों की खरीद और घरों की मुरम्मत के वास्ते अनुदान देने के लिए खर्च की जा रही है। बाद से प्रभावित लोगों को कम्बल और अन्य जरूरी वस्तुएं बांटने के लिए 1.42 करोड़ रुपए की राशि मुख्य मन्त्री के राहत कोष में से भी दी गई है। आवास तथा शहरी विकास निगम ने बाढ़ से प्रभावित जिलों में मकानों की मुरम्मत तथा पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस में से 4.87 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। देश में हरियाणा ही एक ऐसा प्रथम राज्य है जिसने ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों में रहने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के हरिजन कृषि कर्मियों को मुआवजा दिया है। मेरी सरकार ने किसानों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि का पांच प्रतिशत भाग हरिजन कृषि कर्मियों को देने का निर्णय लिया है।

4. बाढ़ के कारण हुई क्षति के बावजूद, राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। यह सफलता, कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयत्नशील रहते हुए और किसानों

को जरूरत की सभी अनिवार्य चीजें विशेषतः पानी तथा बिजली उपलब्ध करवा कर ही प्राप्त की गई है। चालू मूल्यों के आधार पर राज्य की आय वर्ष 1986–87 में 5,931 करोड़ रुपए से बढ़ कर बर्ष 1987–88 में 6,478 करोड़ रुपए हो गई है, अर्थात् इसमें 9.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1980–81 को आधार वर्ष मानकर स्थिर मूल्यों में राज्य की आय 1986–87 में 4,042 करोड़ रुपए से घट कर 1987– 88 में 3,954 करोड़ रुपए रह गई। यह मूलतः वर्ष 1987–88 के दौरान असाधारण सूखा स्थिति के कारण हुआ, जिसका अर्थ–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है। प्रथम चरण में 25 मदों पर बिक्री कर लगाकर तथा कर की चोरी को रोक कर और टैक्स संरचना को युक्तिसंगत बनाने के कारण वसूलियों में 26.75 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1988 तक 464. 47 करोड़ रुपए की वसूली की गई जबकि पिछले साल की उसी अवधि के दौरान 366.44 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी। सरकारी फालतू भूमि की बिक्री के कारण हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से 2.50 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं।

वर्ष 1989–90 की वार्षिक योजना के लिए 676 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जो चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय से लगभग 23.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 676 करोड़ रुपए के इस कुल परिव्यय में से 202 करोड़ रुपए बिजली के लिए, 93. 95 करोड़ रुपए सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण के लिए 78.61 करोड़ रुपए कृषि ग्रामीण विकास तथा इससे

संबंधित कार्यकलापों के लिए 37.51 करोड़ रुपए परिवहन के लिए, 14 करोड़ रुपए उद्योग के लिए. और 233.18 करोड़ रुपए स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं तथा वच्चों के कल्याण और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण आदि जैसी सामाजिक सेवाओं के लिए और 675 करोड़ रुपए अन्य सेवाओं और 10 करोड़ पए विकेन्द्रीकृत योजनाओं के लिए रखे गए हैं। इस परिव्यय में सतलुज यमुना योजक नहर के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है और जो भारत सरकार द्वारा दी जाएगी।

5. मेरी सरकार ने सिंचाई तथा बिजली के क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए इस के लिए 295. 95 करोंड़ रुपए का प्रावधान किया है। सतलुज यमुना योजक नहर को शीघ्रता से मुकम्मल करने की ओर भी मेरी सरकार पूरा साल ध्यान देती रही है। यह नहर राज्य के किसानों की जीवन धारा है। इस नहर के मुकम्मल हो जौने पर हरियाणा रावी–व्यास के पानी का अपना पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर सकेगा। इस नहर का अधिक काम तो पूरा हो चुका है तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले भी इसे मुकम्मल करने के लिए निश्चित अवधि को कई बार बढ़ाया जा चुका है, हाल ही के महीनों में काम की धीमी गति मेरी सरकार के लिए एक निहायत चिन्ता का विषय बनी हुई है। अतरू मेरी सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस परियोजना का शेष काम जल्दी से मुकम्मल करवाए ताकि जून, 1989 तक यह नहर चालू की जा सके। पानी के उपलब्ध स्त्रोतों के कारगर

इस्तेमाल और संरक्षण के जरिए राज्य अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के निर्माण में लगातार जुटा हुआ है। राज्य में अब तक लगभग 42 प्रतिशत जलमार्ग पक्के किए जा चुके हैं जबकि शेष 58 प्रतिशत जल–मार्गो को आगामी 10 वर्षों में पूरा करने का प्रस्ताव है कुल 40,000 किलोमीटर लम्बे जलमार्गो में से 17,685 किलोमीटर जलमार्गो को पक्का करने का काम पूरा हो चुका है और पानी रिसने के कारण होने वाले नुकसान को बचाकर 1.35 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई अधीन लाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिंचाई नहरों से पानी प्राप्त करने वाले सभी किसानों, विशेषकर जिनकी जमीनें नहरों के अन्तिम क्षेत्रों में स्थित हैं, को समान रूप से पानी मिल सके, प्रशासन द्वारा दिन–रात चौकसी की व्यवस्था की गई थी ताकि पानी की चोरी तथा नहरों में किए जाने वाले अनधिकृत कटावों को रोका जा सके। हरियाणा में भाखड़ा नहर और पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली के अधीन विभिन्न मुख्य नहरों की क्षमता को बहाल करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्न किए गए थे। नरवाना शाखा तथा भाखड़ा मुख्य लाइन नहर की क्षमता को बहाल करने के लिए पंजाब सरकार के पास 1.05 करोड़ रुपए की राशि जमा करवा दी गई है। पंजाब सरकार द्वारा नरवाना शाखा पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

6. ड्रेन नम्बर कठ की वर्तमान 1,000 क्यूसेक की क्षमता को बढ़ाकर 1,650 क्यूसेक की जा रही है और इस के किनारों को

भी सुदृढ़ किया जा रहा है। बाढ़ नियन्त्रण उपायों के परिणामस्वरूप अब तक लगभग 16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित कर दिया गया है।

7. मेरी सरकार बिजली क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती हैं। वर्ष 1989–90 की वार्षिक योजना में इस प्रयोजन के लिए 202 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जोकि कुल योजनागत परिव्यय का लगभग 30 प्रतिशत है। राज्य की अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों अर्थात् कृषि तथा उद्योग में बिजली सप्लाई की अभूतपूर्व स्थिति बनाए रखने के कारण सभी द्वारा सराहना की गई है। प्रथम बार मार्च, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक बिना किसी कटौती के लगातार बिजली सप्लाई की गई। यद्यपि, हाल ही में कुछ प्रतिबन्ध लगाने पडे थे, परन्तु फिर भी जनवरी, 1989 में बिजली सप्लाई की दैनिक औसत 178 लाख यूनिट रही है जबकि जनवरी, 1987 में यह 112 लाख यूनिट थी तथा जनवरी, 1988 में 146 लाख यूनिट थी। इस प्रकार 1988 के मुकाबले में 22 प्रतिशत की वृद्धि और 1987 के मुकाबले में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि हमारे ताप संयंत्रों को अधिक संयंत्र क्षमता उत्पादन धो योग्य बना दिया गया है। मेरी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि विद्यमान ताप–संयंत्रों की क्षमता में आगामी दो वर्षों के दौरान और भी अधिक सुधार किया जाए। 210 मै० वा० वाली पानीपत ताप बिजली परियोजना के चरण–3 और यमुना पन बिजली परियोजना के 16 मै० वा० वाले बिजली

घर ''ग'' के निकट भविष्य में शुरू हो जाने सै राज्य में बिजली की स्थिति अधिक मजबूत हो जाएगी और इससे राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 2149 मै० वा० हो जाएगी। राज्य की पारेषण और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अत्यधिक प्रगति की जा रही है। गढ़ी, इन्द्री और मातनहैंल में 132 के० वी० के 3 नये उप–स्टेशन शुरू किए गए हैं। राज्य के विभिन्न भागों में 33 के० वी० के 6 नए उप–केन्द्र बनाने के अतिरिक्त, फरीदाबाद में भी 66 के० वी० का एक नया उप–केन्द्र बनाया गया है। पंचकूला में 220 के० वी० वाले उप–केन्द्र और 220 के० वी० के भाभा पचकूला लाईन का कार्य पूरा होने के अन्तिम चरण में है। इसी प्रकार, पलवल में 220 के० वी० के उप–केन्द्र और 220 के० वी० की साम्यापुर–पलवल लाईन के जून, 1989 तक शूरू हो जाने की संभावना है। भिवानी में 220 के० वी० का एक अन्य उप–केन्द्र भी जून, 1989 तक शुरू हो जाएगा। यह केन्द्र भिवानी स्थित भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड के 400 के० वी० उप–केन्द्र के माध्यम से देहर बिजली संयंत्र से सीधी बिजली प्राप्त करेगा। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की कर्मशालाओ की ट्रांसफारमर मुरम्मत क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि खराब ट्रांसफारमरो को बदलने में कम समय लगे। वितरण ट्रांसफारमरों के बेहतर निवारक रख–रखाव के लिए एक विशेष दस्ता बनाया गया है।

8 मेरी सरकार, कृषि उत्पादन बढ़ाने को अत्यधिक प्राथमिकता दे रहो है। अगस्त के पहले सप्ताह और सितम्बर के

अन्तिम सप्ताह में अत्यधिक वर्षा और अचानक आई बाढ़ के कारण हुई अत्यधिक क्षति के बावजूद राज्य में 24. 38 लाख टन का रिकार्ड खरीफ उत्पादन हुआ। अनुमान लगाया गया है कि गन्ने का उत्पादन 7.50 लाख टन (गुड़) और कपास का उत्पादन 6.85 लाख गांठें होगा। अभी तक फसलों की हालत काफी संतोषजनक है और रबी की फसल में 84.50 लाख टन खाद्यान्न तथा 3.62 लाख टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना है। राज्य में नकदी फसलों को प्रोत्साहन देने के विचार से मेरी सरकार ने गन्ने का मूल्य 35 रुपए प्रति क्विटल नियत किया हैं जोकि देश में सबसे अधिक है। राज्य के सूखे क्षेत्रों में पानी का अधिक उपयोग करने के लिए चालु वर्ष के दौरान 2,270 छिड़काव सैट लगाए जाएंगे। लाभानुभोगियों के वर्गों को ध्यान में रखते हुए, उन्हैं 25 से 40 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता देकर 2000 बायोगैस संयंत्र भी लगाए जा रहैं हैं। विपणन व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड 31—12—1988 तक 310 लाख टन की क्षमता वाले भण्डारों का निर्माण पहले ही कर चुका है और 14,200 टन की क्षमता वाले गोदाम निर्माणाधीन हैं। मेरी सरकार ने राज्य में बागबानी तथा सब्जियों की फसलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए अलग से एक बागबानी निदेशालय की स्थापना की है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1989— 90 के लिए 93.55 लाख रुपए के परिव्यय का उपबन्ध किया गया है तथा 3,000 अतिरिक्त हैक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे तथा 42,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों की काश्त कराने का प्रस्ताव है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान सरकारी

नर्सरियों में 5 लाख फलदार पौधे तैयार करने का लक्ष्य है जबकि चालू वित्त वर्ष के दौरान 4 लाख पौधे तैयार किए गए थे। आगामी वित्त वर्ष में 2 लाख फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

9. राज्य में पशुओं की नसल सुधारने और विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए वर्ष 1989–90 के दौरान 40 और नई पशु–चिकित्सा डिस्पैसंरियां खोलने और 30 पशु–चिकित्सा डिस्पैंसरियों का दर्जा बढ़ाकर पशु अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। राज्य पशु वैक्सीन संस्थान, हिसार और रोग निदान सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाया जाएगा। अनुसूचित जातियो के सभी लोगों को निःशुल्क पशु–स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जाएंगी। अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के लोगों को संकर नसल की बछड़ियों का पालन करने और भेड तथा सुअर यूनिट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्ष 1989–90 के दौरान 3,300 परिवारों को यह लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है। 6,000 परिवारों को बढ़िया चारे का उत्पादन करने के लिए 50 प्रतिशत कीमत पर चारा मिनी किटें सप्लाई की जाएंगी। इस से दूध का उत्पादन बढ़ेगा।

10. हरियाणा राज्य में मछली पालन आमदन बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय बनता जा रहा है। कुरुक्षेत्र तथा हिसार में दो नई मछली पालन विकास एजेन्सियों की स्थापना की जाएगी। मछली पालन विभाग हैतु वर्ष 1989–90 के लिए 185 लाख रुपए

का प्रावधान किया गया है। इन विभिन्न स्कीमों से रोजगार के 2. 50 लाख श्रम दिन जुटाए जाएंगे और 380 अनुसूचित जातियों के परिवारों को लाभ पहुंचेगा। आशा की जाती है कि 18,000 टन मछलियों का उत्पादन किया जाएगा और 400 लाख टन मछली बीजों का संग्रहण भी किया जाएगा। प्रति हैक्टेयर मछली उत्पादन में हरियाणा का देश के अन्दर प्रथम स्थान है।

11. ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी वर्ष 1987– 88 में प्राथमिक सहकारी ऋण तथा सेवा समितियों द्वारा 239 करोड़ रुपए के अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण के लक्ष्य के मुकाबले इन समितियों ने विभिन्न कृषि तथा कृष्येतर प्रयोजनों के लिए 256.23 करोड़ रुपए के ऋण दिए हैं। इन ऋणों में से, समाज के कमजोर वर्गों को 76.57 करोड़ रुपए की राशि दी गई है और हरियाणा राज्य में किसानों को 8. 71 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण दिए गए हैं। वर्ष 1988–89 के लिए 251 करोड़ रुपए का लक्ष्य नियत किया गया है। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि भूमि विकास बैक ने अपने 72 प्राथमिक सहकारी कृषि भूमि विकास बैकों के माध्यम से वर्ष 1987–88 के दौरान 26,923 सदस्यों को 38 86 करोड़ रुपए के ऋण दिए। वर्ष 1988– 89 के लिये 65 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये बैक भूमि, ट्रैक्टर, अन्य कृषि संबंधी मशीनरी खरीदने, मुर्गी तथा सुअर पालन यूनिट लगाने तथा बागबानी के लिए ऋण दे रह हैं। हैफेड ने अपनी प्राथमिक

सहकारी विपणन समितियों के माध्यम से वर्ष 1987–88 के दौरान 175 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 173.33 करोड़. रुपए के कृषि उत्पादनों का क्रय–विक्रय किया है। वर्ष 1988– 89 के लिए 180 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हैफेड तथा प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों ने वर्ष 1987–88 के दौरान लगभग 50 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की खाद का वितरण किया है। वर्ष 1988–89 के दौरान 68 करोड़ रुपए मूल्य की खाद का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 30–6– 1988 तक 2,400 मकानों के निर्माण के लिए 96 लाख रुपए ऋण तथा 52 लाख रुपए सहायता–अनुदान के रूप में बाटे गए हैं। सहकारी वर्ष 1988– 89 के लिए 1,000 मकानों के निर्माण हैंतु 40 लाख रुपए ऋण तथा 20 लाख रुपए सहायता–अनुदान के रूप में देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक वितरण स्कीम के तहत वर्ष 1987– 88 के दौरान उपभोक्ता संघ ने 65.63 करोड़ रुपए का सामान बेचा। राज्य में 7 सहकारी चीनी मिलें कार्य कर रही हैं। इन मिलों ने वर्ष 1987– 88 के पीडन मौसम के दौरान 150.56 लाख क्विंटल गन्ने की पिड़ाई की तथा 1478 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया। चीनी की वसूली 9.82 प्रतिशत रही। कैथल, महम और भूना प्रत्येक के अन्दर 2500 टी० सी० डी० क्षमता वाली 3 नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित की जा रही हैं और जिनमें 3 वर्षो के अन्दर–अन्दर गन्ने की पिड़ाई आरम्भ होने की संभावना है। प्रत्येक चीनी मिल की अनुमानित परियोजना लागत 2,400 लाख रुपए होगी। इन मिलों में लगभग 2,400

व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वर्ष 1989– 90 के दौरान 1,100 लाख रुपए खर्च करने का अनुमोदन कर दिया गया है।

12. मेरी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू रूप देने तथा मूल्यों को स्थिर रखने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। राज्य भर में खोली गई 6,516 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से अनिवार्य वस्तुएं वितरित की जाती हैं। चीनी, गेहूं, आटा, चावल, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, नियत्रित कपड़ा जैसी आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाती हैं। किसी भी उपभोक्ता को नियन्त्रित आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए 2 किलोमीटर से अधिक नहीं चलना पड़ता। वर्ष 1988–89 के दौरान नियन्त्रित आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक रही है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता तथा उनके मूल्यों पर नजर रखने के लिए खाद्य एवं पूर्ति मन्त्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय मूल्य परिवीक्षण समिति का गठन किया गया है। जिला एवं उपमण्डल स्तर पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने तथा उनकी कीमतों पर नजर रखने के लिए, सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को अपनाने का निर्णय लिया है। हिसार तथा अम्बाला में, सेवारत जिला तथा सत्र न्यायाधीशों की अध्यक्षता में छः–छः जिलों के लिए दो जिला शिकायत निवारण फोरम और उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की

अध्यक्षता में एक राज्य आयोग गठित करने का निर्णय किया गया है। विभिन्न उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी तथा गैर– सरकारी सदस्यों की एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का भी गठन किया गया है। जमाखोरी तथा चोर बाजारी रोकने के लिए व्यापारियों के लेखों, भण्डारों तथा गोदामों की नियामित रूप से जांच की गई और दिनांक 31– 12– 1988 तक दोषी व्यापारियों के विरुद्ध 49 मामले दर्ज किए गए।

13. मेरी सरकार वनरोपण द्वारा पर्यावरण में सुधार लाने को अधिक महत्व देती है। वर्ष 1989–90 के दौरान विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत 2590 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 39,600 हैक्टेयर से भी अधिक भूमि पर वन लगाए जाएंगे। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए विकेन्द्रीकृत पौधशालाएं स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपए खर्च किए जा रहैं हैं। यद्यपि राज्य के स्वामित्व में वन क्षेत्र अधिक नहीं हैं, तथापि, वनों से प्राप्त होने वाचे राजस्व में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वन उत्पादन को प्राप्त करने, काटने, उपयोगी बनाने तथा उसका विपणन करने के लिए वन विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1989–90 के दौरान 2.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

14 राज्य ने औद्यौगिक क्षेत्र में विकास की गति को निरन्तर बनाए रखा है। दिनांक 31– 12– 1988 तक छोटे दर्जे के यूनिटों की संख्या 84,428 तक पहुंच गई है। केवल वर्ष 1988–89

के दौरान 4,828 यूनिटों की स्थापना की गई है। वर्ष 1989– 90 के दौरान ग्रामीण उद्योग स्कीम के अन्तर्गत 2,500 यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे 7,500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। वर्ष 1988– 89 के दौरान भारत सरकार द्वारा बडे तथा माध्यम क्षेत्रों में 27 आशयपत्र, 10 औद्योगिक लाईसेंस और 87 पंजीकरण दिए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान 10 यूनिट स्थापित किए गए हैं और वर्ष 1989–90 के दौरान 15 और यूनिट स्थापित होने की संभावना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 5,655 लाख रुपए के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1988–89 के लिए 1,100 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है जिस में से अनुसूचित जातियों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लाभ के लिए 127.79 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1989–90 की वार्षिक योजना के लिए 1,400 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया है, जिस में से 127. 35 लाख रुपये अनुसूचित और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित किये गये हैं।

वर्ष 1988– 89 के दौरान राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए राज्य सरकार ने बहुत से प्रोत्साहनों की घोषणा की है। लघु पैमाने के ओद्योगिक यूनिटों के लिए जैनरेटिंग सैटों पर दी जाने वाली सहायता–अनुदान की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति के० वी० ए० तथा मध्यम और बड़े पैमाने के यूनिटों के लिए 500 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए प्रति के० वी० ए० कर दिया गया है। जैनरेटिंग सैटों के

लिए दी जाने वाली सहायता–अनुदान राशि की अधिकतम सीमा, वर्तमान 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। औद्योगिक तौर से पिछड़े हुए क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने के लिए दी जानै वाली सहायता–अनुदान की राशि बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गयी है। सचिवों की एक समिति ने उद्योग संघों के साथ त्रैमासिक बैठकें करना आरम्भ किया है और यह समिति मन्त्रियों के एक ग्रुप को उद्योग विकास हैंतु सहायक निर्णयों को शीघ्र लागू करने के लिए रिपोर्ट करेगी। वर्ष 1989–90 के लिए उद्योग को प्रोत्साहन देने हैंतु 6.28 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1988 तक जैनरेटिग सैट सहायता–अनुदान के रूप में ओद्योगिक यूनिटों के लिए 1.6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

15 इलैक्ट्रानिकी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए चालू वर्ष के दौरान 80 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1989–90 के दोरान इस राशि को बढ़ा कर 1.40 लाख रुपए कर दिया गया है। बावल, जिला महैंन्द्रगढ़ में सहायता प्राप्त क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रिटिड सरकट बोर्ड निर्माण संयत लगाया जा रहा है जिस से 15 करोड़ रुपए मूल्य का सामान उत्पादन होने का अनुमान है। उद्योग विहार, गुड़गांव के अन्दर सार्वजनिक क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए की लागत से आर० ए० एक्स० परियोजना की स्थापना की जा रही है। इस समय राज्य में 250 करोड़ रुपए मूल्य का इलैक्ट्रानिक सामान तैयार होता है

जोकि आगामी पांच वर्षो के दौरान बढ़कर प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है।

16 जहां तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है, अत्यन्त आधूनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कई नई स्कीमें आरम्भ की गई हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने हैंतु नीति और उपायों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए मुख्य मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद् का गठन किया नया है। राज्य में बंजर भूमि की पहचान करने के लिए एक परियोजना पूरी कर ली गई है और फसल उत्पादन के संबंध में अनुमान लगाने के बारे में भी इसी प्रकार की एक परियोजना दूरस्थ बोध तकनीक के माध्यम से शुरू की गई है। प्राकृतिक संसाधन आकडा प्रबन्ध प्रमाली के अधीन गुडगांव में प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध पर एक आकड़ा केन्द्र खोला गया है। राज्य के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के आकड़ा केन्द्र खोले जा रहैं हैं। ग्रामीण०र्जा क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य के नौ खण्डों में एकीकृत ग्रामीण०र्जा योजना कार्यक्रमों को क्रियाविन्त किया गया। वित्त वर्ष 1989–90 के दौरान राज्य के तीन और खण्डों में इस कार्यक्रम को लागू कर दिया जाएगा। वर्ष 1989–90 के दौरान इस कार्यक्रम पर 60 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में स्नातक बेरोजगारों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में उन्हैं अपने औद्योगिक उद्यम आरम्भ करने के लिए वर्ष 1988– 89 के

दौरान विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में स्नातक तथा डिप्लोमाधारक बेरोजगारों के लिए चार उद्यम विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहैं हैं और 186 उद्यमकर्त्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। विज्ञान के विद्यार्थियों को अपने औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए मार्ग दर्शन हैंतु सात उद्यमकर्ता जानकारी शिविर आयोजित किए जा रहैं हैं। विभिन्न विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों के लिए 186 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

17 राज्य के उपक्रमों के कामकाज का पर्यवेक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये उपक्रम अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम काम करें और कमियों को प्रभावशाली रूप से दूर करें, इस के संबंध में भी उचित सुझाव देने के लिए सरकार ने फरवरी, 1988 में एक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का' गठन किया है। इस ब्यूरो ने अब तक 21 उपक्रमों के कार्य तथा वित्तीय स्थिति की समीक्षा की है। ऐसी समीक्षा के आधार पर उनके कार्यों में पूर्ण सुधार लाने के लिए कुछ विशेष सिफारिशों का सुझाव दिया गया है। इन उपक्रमों के वित्तीय तथा वास्तविक कायों के परिवक्षण को सुदृढ़ करने के लिए एक उपयुक्त प्रबन्ध सूचना प्रणाली विकसित की जा रही है।

18 मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण को अधिक महत्व देती है। अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए अनेक स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 1989– 90 के दौरान समाज के इन कमजोर वर्गो के कल्याण के लिए विभिन्न योजनागत, योजनेतर और विशेष संघटक योजना स्कीमों के अन्तर्गत 1291 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने के लिए छात्रवृत्तियां, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, पुस्तक–अनुदान और विशेष अनुशिक्षण जैसी अनेक स्कीमों को पुरजोर लाग किया जा रहा है। इन स्कीमों के अन्तर्गत 7.12 करोड़ रुपये आबंटित करने का प्रस्ताव है जिस से वर्ष 1989– 90 के दौरान 2,88,265 विद्यार्थियों को लाभ होगा। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के छठी से आठवीं कक्षा में पढ्ने वाले विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की दर 15 रुपए प्रतिमास से बढ़ाकर 30 रुपये प्रतिमास करने, तथा 9वीं से 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 20 रुपए से 50 रुपये प्रतिमास करने का निर्णय लिया है। इस के अतिरिक्त, मिडल कक्षाओं के लिए लेखन–सामग्री की खरीद हैंतु अनुदान की दर 20 रुपए से 40 रुपए प्रति वर्ष तथा उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए 20 रुपए से 60 रुपए प्रतिवर्ष बढ़ाई जा रही हैं। विभिन्न कामधंधों और व्यवसायों के लिए आर्थिक सहायता–अनुदान की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत बर्ष 1988– 89 के दौरान हरिजन कल्याण निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के 5,784 व्यक्तियों तथा हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम द्वारा 1,023 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया हैं। दिनाँक 23–3– 1986 तक अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग तथा हरियाणा हरिजन कल्याण निगम द्वारा दिए गए 843.42 लाख रुपये के ऋण, जो 1,32,375 कर्जदारों के पास बकाया थे,

सभी माफ कर दिए गए हैं। यह ऋण सहकारी संस्थानों द्वारा अनुसूचित जातियों के सदस्यों को दिए गए ऋणों के अतिरिक्त है आवास तथा शहरी विकास निगम अनुसूचित जातियों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए हरियाणा आवास बोर्ड को 5 करोड़ रुपए देगा। मेरी सरकार ने वर्ष 1988– 89 के दौरान मकानों के निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता–अनुदान की राशि को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति लाभानुभोगी करने का भी निर्णय लिया है। वर्ष 1989–90 के दौरान इस कार्य के लिए 80 लाख रुप ये निर्धारित किए गए हैं ''हरिजन बस्तियां पर्यावरण सुधार स्कीम'' के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 के दौरान 70 लाख रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है।

19 मेरी सरकार द्वारा गत वर्ष चलाई गई नई वृद्धावस्था पैंशन स्कीम सम्पूर्ण देश के लिए मार्गदर्शन बन गई है। यह तेजी से तथा कुशलतार्पूवक कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना पर वर्ष 1987–88 में 31. 32 करोड़ रुपए खर्च हुए जबकि वर्ष 1988– 89 में यह खर्च एक दम बढ़कर 79.60 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1989– 90 के लिए इस योजना के अन्तर्गत 90.00 करोड़ – रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत लगभग 7.62 लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। राज्य में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक आवेदकों को नवम्बर, 1988 से 100 रुपए प्रतिमास की दर से बेरोजगारी भत्ता देने का

निर्णय लिया गया है। विधवाओं और विकलांगों को दी जाने वाली पैशन योजना को ओर उदार बना दिया गया है। इसके लिए पात्र विधवाओं और विकलाँगों की आय की सीमा 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मास कर दी गई है। दिनांक 1– 4–89 से विधवाओं और विकलांगों की पैंशन की दर 50 रुपए प्रति मास से बढ़ा कर 75 रुपए करने का प्रस्ताव है। राज्य के सभी बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक विकास के लिए अनिवार्य मौलिक सेवाएं जुटाने हैंतु हम भरसक प्रयास कर रहैं हैं। राज्य के प्रत्येक गांव में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम का विस्तार किया गया है।

वर्ष 1988–89 के दौरान इस स्कीम के तहत 6,19080 व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा 1 वर्ष 1989–9० के लिए 7,03,080 लगभानुभोगियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 वर्ष की आयु तक बच्चे तथा गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताएं, पूरक, पोषण, प्रतिरक्षण, स्वासय जांच और परामर्शी चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा और पूर्व स्कूल शिक्षा, के लिए पात्र हैं। राज्य में इस समय 66 ग्रामीण तथा 5 शहरी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजपाएं कार्य कर रही हैं ओर बर्ष 1989–90 के दौरान ऐसी 14 और परियोजनाएं स्थापित किए जाने की संभावना है।

20 मेरी सरकार ''गरीबी हटाओ'' कार्यक्रमों को पूरे जोर से कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध है। छोटे और गरीब

किसानों के सभी परिवारों, कृषि तथा गैर कृषि श्रमिकों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ''गरीबी की रेखा से नीचे के शिल्पकारों तथा दस्तकारों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०) के अन्तर्गत उधार–योजक सहायता दी जा रही है ताकि वे अपनी आय को बढ़ा सकें। इस स्कीम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता और रियायती ऋण भी जुटाये जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत जनवरी, 1989 तक 39,836 परिवारों कों सहायता दी गई थी जिसमें से 12,976 परिवार अनुसूचित जातियों से सबंधित थे औंर इसमें महिला लाभानुभोगियों की संख्या 16,997 थी। इस अवधि के दौरान 1,2 63.25 लाख रुपये का ऋण वितरित किया कया था और 615.52 लाख रपये का आर्थिक अनुदान दिया गया था।

21. रोजगार विभाग के सजीव रजिस्टर में रोजगार हैंतु प्रतीक्षित आवेदकों की अत्यधिक संख्या होने के कारण, रोजगार विभाग के कार्य–परिचालन को कम्पयूटर द्वारा करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे लोगों के मन में विश्वास की भावना पैदा होगी। सर्वप्रथम मण्डलीय रोजगार केन्द्र अम्बाला के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है, और वर्ष 1988–89 के दौरान 6 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि सभी नौकरी चाहने वालों को वेतन वाली नौकरियां जुटाना संभव नहीं है, इसलिए उन्हैं स्वतः रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 30– 11– 1988 तक 28,454 आवेदकों को स्वतः रोजगार स्कीमों

के संबंध में जानकारी दी गई थी और 183 आवेदकों को अपने निजी उद्यम शुरू करने के लिए विभिन्न बैकों तथा अन्य एजैन्सियों द्वारा 31.15 लाख रुपए की राशि के ऋण दिए गए थे।

22. मेरी सरकार अधिक से अधिक लोगों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने को उच्च प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के विचार से प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से एक निदेशालय स्थापित किया गया है जो प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्व होगा। वर्ष 1989–90 के दौरान विद्यालय शिक्षा के लिए 3,669 लाख रुपये के परिव्यय का उपबन्ध किया गया है जो वर्ष 1988–89 के लिंए नियत परिव्यय से 417 प्रतिशत अधिक है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, वर्ष1988–89 के दौरान लड़कियों के लिए 200 प्राथमिक विद्यालय खोले जा रहैं है। वर्ष 1989–90 के दौरान लड़कियों के लिए 100 और प्राथमिक विद्यालय शुरू करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1 989–90 के लिए प्राथमिक श्रेणियों में 1,14,000 अतिरिक्त बच्चों और 6–8 श्रेणियों में 50,000 बच्चों को दाखिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दाखिल बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों के 1,000 अतिरिक्त पद बनाने का प्रस्ताव है। बच्चे शैक्षणिक सुविधाएं आसानी से प्राप्त कर सकें, इस विचार से वर्ष 1988–89 के दौरान 50 प्राथमिक और 25 मिडल विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 1989–90 के दौरान 100 प्राथमिक विद्यालय, 50 मिडल और 25 उच्च विद्यालयों का दर्जा

बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। नौ नवोदय विद्यालय खोले गए हैं तथा 1989–90 के दौरान तीन और ऐसे विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है। माता–पिता–अध्यापक ऐसोसीयेशनो को सभी स्कूलों में सक्रिय बना दिया गया है।

23 मेरी सरकार ने खानाबदोश कबीलों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक रुपया प्रति स्कूल–दिवस प्रति विद्यार्थी के हिसाब से नकद प्रोत्साहन देने की एक अद्वितीय स्कीम शुरू की है। इन कबीलों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का यह एक अग्रगामी प्रयास है। इस परियोजनार्थ 1988– 89 के लिए 6.40 लाख रुपए और 1989–90 के लिए 100 लाख रुपये की व्यवस्था की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जोरदार ढंग से लागू किया जा रहा है। महाविद्यालयों में इलैक्ट्रौनिक्स, कम्प्यूटर साईंस, विपणन, श्रम तथा कामिक प्रबन्ध, सचिवालय प्रशिक्षण जैसे रोजगार दिलाने वाले पाठ्यक्रम लुक किए जा रहैं दै त् यमुनानगर, अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, कैथल, हिसार, कुरुक्षेत्र और महैंन्द्रगढ़ के सात महाविद्यालयों में इलैक्ट्रौनिक्स में पुनर्निर्मित पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसी प्रकार पानीपत, यमुनानगर, जीन्द, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और कालका में स्थित सात महाविद्यालयों में कम्प्यूटर साईंस में एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हैंतु प्रोत्साहित करने के वास्ते राज्य

सरकार ने नये महिला महाविद्यालय खोलने के लिए मैचिंग अनुदान की स्कीम शुरू की है। ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं देने की ओर राज्य सरकार विशेष ध्यान दे रही है। लोहारू तथा भट्टू कलाँ में राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। राज्य के शैक्षिणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, तावडू और डबवाली में वर्ष 1989–90 से राजकीय महाविद्यालय खोल दिए जाएंगे। अनुसूचित जातियों, पिछडे वगों, निम्न आय वर्गों और निस्सूचित कबीलों के विद्यार्थियों को विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए वर्ष 1988– 89 के दौरान 63.11 लाख रुपए के अतिरिक्त खर्च से राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों के 230 पद और 240 अन्य पद स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 1988–89 के दौरान 30 लाख रुपए के अतिरिक्त खर्च से गैर सरकारी महाविद्यालयों में भी विभिन्न विषयों के प्राध्यापकों के 240 पद स्वीकृत किए गए हैं।

24. राज्य में तकनीकी कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हिसार में एक इंजीनियरिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव है। राज्य में वर्तमान तीन महिला पालिटैक्निकों के अतिरिक्त, फरीदाबाद में महिलाओं के लिए एक राजकीय पोलिटैक्निक स्थापित करंने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के विकासशील क्षेत्रों में पाठ्य– क्रम लागू करने के लिए उतावड (जिला फरीदाबाद), नारनौल और गुड़गांव में नए

पॉलिटैक्निक तथा जीन्द में एक चमड़ा संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। राजकीय पोलिटैक्निक, अम्बाला शहर में अंशकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1988–89 के लिए 450 लाख रुपए के उपबन्ध को बढ़ाकर 1989–90 में 615 लाख रुपए किया जा रहा है।

वर्ष 1989–90 के दौरान केवल महिलाओं के लिए दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव है। व्यावसायिक शिक्षा स्कीम के अधीन 65 संस्थानों के 8,680 विद्यार्थियों को 20 विभिन्न व्यवसायों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है। वर्ष 1989–90 के दौरान सीटों की संख्या बढ़ाकर 9,720 करने का प्रस्ताव है तथा एक राज्य व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित करने की भी योजना है।

25. मेरी सरकार इस वर्ष खेल–कूद और युवा विकास स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमें लागू कर रही है। राज्य खेल–कूद संघ द्वारा सभी खेलों में राज्य खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस प्रयोजनार्थ इन संगठनों को सहायता–अनुदान दिया जाता है। जनवरी के महीने में भिवानी में योगाभ्यास की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं जिसमें हरियाणा को महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अम्बाला में खेल–कूद समारोह आयोजित किया गया था जिसमें 1,200 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। स्कूलों तथा कालेजों के विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1988–89 के दौरान

11.77 लाख रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की जाएगी और 5. 50 लाख रुपए की राशि हरियाणा के विशिष्ट पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों को दी जाएगी। वर्ष 1989– 90 के दौरान विभिन्न स्कीमों के लिए 175 लाख रुपए का बजट उपबन्ध किया गया है।

26. ''2000 ईस्वी तक सर्व जन स्वास्थ्य'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शताब्दी के अन्त तक 2,367 उप–केन्द्रों, 394 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 98 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता होगी। मार्च, 1989 तक राज्य में 2,206 उप–केन्द्र, 333 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथ 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिए जाएंगे। वर्ष 1989– 90 में 161 उप–केन्द्र और 61 प्राथमिक स्वास्थ्य. केन्द्र और 10 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1988– 89 के लिए 1,000 लाख रुपये का सशोधि त परिव्यय नियत किया गया है और यह परिव्वय बढ़ाकर वर्ष 1989–90 में 1, 529 लाख रुपए किया जा रहा है। जनता को दी जाने वाली मुफ्त डाक्टरी सहायता के लिए पूर्व निर्धारित 300 रुपए आय की सीमा को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए 85 लाख रुपए की लागत से मैडीकल कालेज, रोहतक में एक प्रादेशिक कैंसर केन्द्र बनाया गया है। इस केन्द्र में 40 बिस्तरों की व्यवस्था है। 45 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक दूसरा कोबाल्ट थैरेपी यूनिट मंगवा कर स्थापित किया जा रहा है। निकट भविष्य

में न्यूक्लीयर मैडिसन विभाग बनाने का भी प्रस्ताव है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। दिसम्बर, 1988 तक 48,402 नलबन्दी एवं नसबन्दी आपरेशन किए गए हैं। राज्य में दम्पत्ति प्रतिरक्षण दर 58.1 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत दर 398 प्रतिशत है। बाल स्वास्थ्य देख रेख कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरुप नवजात शिशु–मृत्यु–दर घट कर 87 प्रति हजार रह गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत दर 95 प्रति हजार है। राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 35,000 अंतनैत्रिक (इन्टाऑक्यूलर) आपरेशनों के लक्ष्य के मुकाबले में दिसम्बर, 1988 तक 19,602 आपरेशन किए गए हैं।

27. राज्य के समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल की सुविधाएं जुटाने के विचार से चालू वर्ष के दौरान 330 समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है जिनमें से जनवरी, 1989 तक 290 गांवों कौ इस योजना के तहत लाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1989– 90 के दौरान 400 समस्या ग्रस्त गांवों को पेयजल सप्लाई सुविधाएं जुटाने का भी प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए 25.88 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और केन्द्र चालित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अधीन 5.5 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन उपलब्ध होने की संभावना है। शहरी क्षेत्रों में जल सप्लाई और भूमिगत मल निकास सुविधाओं से सम्बन्धित सेवा के स्तर में सुधार लाने के लिए 7.12 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तकनीकी मिशन के

अन्तर्गत 3.5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है ताकि ग्रामीण जल सप्लाई के चालू कार्यक्रम की क्रियान्विति में सुधार हो तथा उन पर हुआ खर्च सार्थक हो सके और गुड़ गांव तथा अम्बाला के जिलों में दीर्घावधि आधार पर स्वीकार्य बेहतर पेयजल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति सुनिश्चित हो।

28. हरियाणा रोडवेज ने अपना उच्च स्तर निरन्तर बनाये रखा है। प्रदेश में परिवहन सेवाओं में सुधार लाने हैंतु फतेहाबाद में एक नया डिपो खोला गया हैं 1 थोड़ी दूरी तय करने के लिए मिनी बसें शुरू की गई हैं। इस समय ग्रामीण मार्नों पर 61 मिनी बसें चल रही हैं और 100 बसें और लेने का प्रस्ताव है। दिसम्वर 1988 तक 279 बसें बदली गई हैं तथा 179 बसें और ली मई हैं। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम ने 11 करोड़ रुपए के कर्ज का इस्तेमाल किया है और 3 करोड़ रु पए का और ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे रोडवेज को नई बसें खरीदने में सहायता मिलेगी और उनकी संख्या में वृद्धि होगी। राज्य में परिवहन सुविधाएं जुटाने के लिए वर्ष 1989– 90 के लिए 15.10 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया। तजुरबे के तौर पर करनाल और पानीपत में 'फास्ट फूड काउंटर' खोले गए हैं। पर्यटन विभाग ने बल्लबगढ़ और सिरसा के बस अड्डे पर अच्छे किस्म का भोजन उचित दरों पर मुहैया करने की व्यवस्था की हैं।

29 अत्यधिक वर्षा और बाढ़ के बावजूद सड़ कों को संतोषजनक हालत में रखा गया 1 दिसम्बर, 1988 तक राज्य में

वर्तमान सड्कों पर ग्यारह ओवर– ब्रिजों के अतिरिक्त दो पुल पानीपत में, एक सोनीपत में, एक दिल्ली आगरा रेलवे लाईन पर बल्लबगढ़ में और एक दिल्ली–भटिन्डा रेलवे लाईन पर डबवाली में बनाने का अनुमोदन किया गया है। करनाल और रोहतक में ओवर रेलवे पुल पहले ही निर्माणधीन हैं। इस प्रकार, अगले दो–तीन वर्षों में अन्य 7 सड़क ओवर–ब्रिज बना दिए जाएंगे। छः अन्य मुख्य नहर अथवा नदी पुल निर्माणधीन हैं। चालू वर्ष के दौरान 400 कि० मी० वर्तमान सड्कों को चौड़ा किया जा रहा है। वर्ष 1989– 90 के दौरान 220 कि० मी० और नयी सड्कों को पक्का करने तथा 290 कि० मी छ वर्तमान सड़ कौ में सूधार करने का प्रस्ताव है मूरथल से करनाल तक के 80 कि० मी० मार्ग को चार लाईनों वाला मार्ग बनाया जा रहा है और इसके अप्रैल, 1991 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है।

30. समूचे हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न पर्यटक–केन्द्र पर्यटकों के लिए आकर्षण बने हुए हैं। वर्ष 1988–89 के दौरान सूरजकुण्ड में 65 और होडल में छः पर्यटक कुटीर बनाये गए हैं। इसी प्रकार, गुडगांव और रिवाड़ी में भी रिहायशी कमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। दूर दराज के क्षेत्रों में पर्यटन को लोकप्रिय बनाने के लिए आशाखेडा और अबूबशहर में विभिन्न नये कार्यक्रम सुरू किए गए है। स्थानीय लोगों में पर्यटन की सुविधाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए पर्यटन केन्दों के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को प्रत्येक बुधवार तथा शुक्रवार को रियायती दरों

पर खाना तथा चाय उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। अबूबशहर में राजस्थान नहर में पहले ही वातानुकूलित नौका की व्यवस्था को गई है। केन्द्रीय सहायता से सूरजकुण्ड में एक आडिटोरियम तथा रेस्तरां, फरीदाबाद में नया गोल्फ कोर्स तथा दमदमा और बहादुरगढ़ में नये पर्यटन केन्द्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। सूरजकुण्ड में शिल्प मेला एक वार्षिक आयोजन तथा देश भर के कुशल शिल्पकारों के लिए आकर्षण केन्द्र बन गया है। सर्वश्रेष्ठ कारीगरों की कला कृतियों को देखने के लिए भारी संख्या में लोग आए जिससे परम्परागत प्रतिभा को प्रोत्साहन मिला।

31. चालू वर्ष के दौरान हरियाणा से सम्बन्ध रखने वाले 101 स्वत्रन्तता सेनानियों, भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों और उनकी विधवाओं को दिसम्बर, 1988 तक की पैंशन स्वीकृत की गई है। इस समय 3,683 स्वतन्त्रता सेनानियों को 250 रुपए प्रति मास की दर से वित्तीय सहायता मिल रही है। स्वतन्त्रता सेनानियों को गहरी उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के स्थान पर 150 रुपए वार्षिक दर से नियत चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। 1939 के हैंदराबाद सत्याग्रह में भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को अन्य स्वतन्त्रता सेनानियों की भांति ही सुविधाएं दी गई हैं।

32. मेरी सरकार ने भारत की स्वतन्त्रता की 40वीं वर्षगांठ और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी को उचित ढंग से मनाने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में 10 मई 1988 को समूचे राज्य में भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की वर्षगांठ मनाई

गई थी। स्वतन्त्रता दिवस 15 अगस्त, 1988 अत्यधिक जोश तथा उत्साह के साथ मनाया गया था। इसमें स्वतन्त्रता सेनानी विशेष रूप से आमन्त्रित थे। इस दिन सरकारी भवनों तथा स्वतन्त्रता संग्रामियों से सन्बन्धित अन्य स्मारकों पर दीपमालाएं की गईं। ''हीरयाणा में 1857 की क्रांति–एक झलक'' नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। 14 नवम्बर, 1988 को सभी जिला मुख्यालयों में स्मृति समारोह आयोजित किए गए जिनमें पंडित नेहरू को एक स्वतन्त्रता सेनानी और भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री के रूप में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नवम्बर, 1988 मास में पंडित नेहरु के जीवन तथा कार्यो के मुख्य–मूख्य अंशों पर विभागीय पत्रिका ''हरियाणा संवाद'' का विशेष अंक प्रकाशित किया गया। गणतन्त्र दिवस पर सभी समारोहों में पण्डित नेहरु के जीवन और भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन सम्बन्धी विषय पर विशेष झांकियां प्रदर्शित की गईं। प्रत्येक खण्ड स्तर पर स्मारक बनाने का प्रस्ताव है जिन पर खण्डवारं स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम अंकित किए जाएंगे।

33. भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई सेवाओं को मान्यता देते हुए सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के पुनर्वास के लिए अनेक कल्याण स्कीमें चालू की जा रही हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 4.1 करोड़ रुपए राज्य के बजट से, 50 लाख रुपए समामेलित निधि और 14 लाख रुपये प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा राहत निधि में से खर्च किए जा रहैं हैं। भूतपूर्व सैनिको को कई

रियायतें दी जाती हैं जिनमें 65 वर्ष की आयु से अधिक वाले 21,370 भूतपूर्व सैनिकों को 100 रुपये प्रति मास की वित्तीय सहायता देना, भूतपूर्व सैनिकों की 10,670 विधवाओं को जिन्हैं केन्द्र सरकार से पैंशन नही मिलती, को पैशन देना, 2,971 विधवाओं और उनके बच्चों को अतिरिक्त पैंशन देना, 243 अनाथ बच्चों को 100 रुपए प्रति मास पालन–पोषण भत्ता देना, 45 पैराप्लैजिक/टैटराप्लाजिक भूतपूर्व सैनिकों को 300 रुपए प्रति मास वित्तीय सहायता देना, नेत्रहीन भूतपूर्व सैनिकों को 100 रुपए प्रतिमास देना और युद्ध विधवाओं की पुत्रियों और शतप्रतिशत विकलांग भूतपूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों के विवाह के समय 65 लाभानुभोगियों को 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता देना भी शामिल है। युद्ध विधवाओं और भूतपूर्व सैनिकों की आश्रित पुत्रियों को सिलाई, कटाई, हौजरी, हथकरघा जिसमें, गलीचा बुनना, कट गलास का काम शामिल है, हिन्दी और अंग्रेजी की टाइप और स्टैनोग्राफी का प्र शिक्षण दिया जाता है। वर्ष 198 8– 89 के दौरान 865 भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को जिला सैनिक बोर्डो/राज्य सैनिक बोर्डो के माध्यम से राज्य में सरकारी, अर्ध–सरकारी और प्राड्वेट/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों में नौकरियां दी गई। सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए व्यवसाय–मार्ग–दर्शक स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी और ग्रुप बी तथा सी पदों के लिए उनके बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन बच्चों को निःशुल्क आवास और भोजन भी दिये जाने का प्रावधान है।

रोहतक जिले में दूसरा सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय भी लिया गया है।

34. मेरी सरकार ने राज्य में जेलों की हालत सुधारने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जेल–सुधार के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति टेक चन्द समिति की सिफारिशों की जांच के लिए श्री मूल चन्द जैन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति की सिफारिशें लागू करके जेल के अमले के वेतन बढ़ाये जा चुके है तथा जेलों में टैलीविजन सैट और टू–इन–वन सैटों की व्यवस्था की गई है। सम्बन्धियों द्वारा कैदियों को मिलने की सुविधा में और अधिक ढील दी गई है। हरियाणा सदाचार कैदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 बनाया गया है जिसमें पैरोल और फरलो देने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। राज्य द्वारा चलाए जा रहैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अपराधियों को उनकी सजा के अन्तिम वर्ष में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि रिहाई के बाद कैदियों को फिर से बसाया जा सके। आजीवन कैदियों की समय पूर्व रिहाई की नीति को भी उदार बनाया गया है। नई नीति के अनुसार महिला अथवा किशोर आजीवन कैदियों को 6 वर्ष की वास्तविक कैद काटने और माफी सहित 10 वर्ष तथा अन्य कैदियों को साढ़े आठ वर्ष की वास्तविक कैद काटने और माफी सहित 14 वर्ष की कैद काटने के बाद समय पूर्व रिहा करने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। इस नई नीति के परिणाम–स्वरूप पहली

नवम्बर, 1988 को 77 आजीवन कैदियों को रिहाई के आदेश दिए गए। सभी जिला मुख्यालयों पर जेलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और इस निर्णय के अनुपालन में सिरसा, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र तथा करनाल में भूमि अभिगृहीत की गई है।

35. मेवात क्षेत्र को राज्य के शेष भागों के बराबर लाने के लिए वर्ष 1989–90 में मेवात विकास बोर्ड के लिए 300 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष में 225 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था थी। अन्य प्रोत्साहनों के अतिरिक्त मेवात क्षेत्र में रोजका मेव तथा हथीन की औद्योगिक सम्पदाओं में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमकर्त्ताओं को नकद आर्थिक सहायता भी दी जाती हु।

36. मेरी सरकार नगरों के योजनाबद्ध विकास की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। सभी जिलों और कुछ उपमंडल मुख्यालयों के लिए विकास योजनाएं तैयार की गई हैं। अन्य उपमण्डल मुख्यालयों के लिए विकास योजनाओं को भी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने पानीपत में नई रिहायशी स्कीमों के लिए 205 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। गुड़गांव में पेयजल सप्लाई की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 47 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना तैयार की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने, मुनक केन्द्र से 70 किलोमीटर लम्बी नहर के माध्यम से पेयजल सप्लाई करने के लिए सिंचाई विभाग को 6

करोड़ रुपए दिए हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने समाज के कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर कम कीमत वाले प्लाट भी दिए हैं। क्योंकि 75 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है इसलिए गांवों का नियोजित विकास करना भी उतबा ही महत्वपूर्ण है। संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग को गांवों के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का काम सौंपा गया है। आरम्भ के रूप में विभाग ने राज्य के 51 मुख्य गांवों के लिए योजना तैयार करनी शुरू कर दी है।

37. मेरी सरकार प्रशासन को उत्तरदायी बनाने और मामलों के तुरन्त निपटान के लिए वचनवद्ध है। लोगों की शिकायतों का तत्काल निवारण करने के लिए जिलों में ''मुक्त द्वार प्रशासन शिविर'' आयोजित किए गए हैं। ये शिविर केन्द्रस्थ गांवों में आयोजित किए जा रहैं है का पर लोग बिचौलियों और दलालों के बिना अपना कार्य करवा सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया है और जिला अधिकारियों के साथ लोगों के सीधे सम्पर्क से प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना पैदा होती है। इसके अतिरिक्त, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का अकस्मात निरीक्षण भी किया गया। विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए समय अनुसूची निर्धारित की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जहां तक सम्भव हो, एकल फाईल प्रणाली को लागू किया जाए।

38. कर्मचारियों के कल्याण को भी उचित महत्व दिया गया है। सेवा सम्बन्धी मामलों को तुरन्त सुलझाने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव है। नियत चिकित्सा भत्ते की दर 200 रुपये वार्षिक से बढाकर 360 रुपये वार्षिक कर दी 'गई है। दैनिक भत्ते की दरों में भी वृद्धि की गई है।

वर्ष 1987–88 के लिए 27 दिनों का तदर्थ बोनस देने का निर्णय लिया गया है। यह राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा की जाएगी। चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पैंशन सम्बन्धी लाभों को भी संशोधित किया गया है।

39. मेरी सरकार ने लोगों के साथ किए गए वायदों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोडी। मुझे विश्वास है कि आप राज्य के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण सहयोग देंगे तथा इसके सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करेंगे। मैं आप की इस सत्र के दौरान विचार–विमर्श की सफलता के लिंए शभ कामनाएं देता हुआ आप से विदा लेता हूं।

जय हिन्द''

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, Hon'ble Chief Minister will make obituary references.

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): जनाब स्पीकर साहब, हमारी असैम्बली के पिछले इजलास से लेकर इस इजलास के अर्से के बीच हमारे कुछ साथी हमको छोड़कर चल बसे हैं। मैं उनके लिए औबिचुअरी रैजोल्यूशन पेश करता हूं।

चौधरी मेहर चन्द, हरियाणा के भूतपूर्व विधायक

स्पीकर साहब, यह सदन हरियाणा के साबिक एम० एल० ए० चौधरी मेहर चन्द के 13 नवम्बर, सन 1988 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

चौधरी मेहर चन्द का जन्म 15 अप्रैल, सन 1907 को जिला हिसार के गांव नहला में हुआ। इन्होंने ऐग्रीकल्चर, पशुपालन और सिंचाई जैसे विकास के कामों में गहरी दिलचस्पी ली। वे किसान समुदाय के साथ साथ हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज की मदद करने में भी दिलचस्पी लेते थे। सर्विसिज से उनका लगाव कुदरती था क्योंकि वे खुद भी तरुरीबन 30 साल ढक सरकारी कर्मचारी रहैं थे। वे सन 1972 में हरियाणा विधान सभा के लिए चुने गये। इन्होंने खेती– बाड़ी के विश्व पर कई हैंड बुक्स और मैनुअल लिखे।

उनके निधन से देश एक अनुभवी लैजिस्लेटर और एक योग्य प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री हिताभिलाषी, पंजाब के भूतपूर्व मन्त्री

यह सदन पंजाब के साबिक मन्त्री श्री हिताभिलाषी की 19 सितम्बर, 1988 को हुई दुखद हत्या पर गहरा शोक प्रकट करता है।

श्री हिताभिलाषी का जन्म 8 अप्रैल, सन् 1923 को जिला फरीदकोट में बधनी कलां के स्थान पर हुआ। वकालत पास करने के बाद इन्होंने सन् 1951 और सन 1952 के दौरान जयपुर (राजस्थान) में इन्कम टैक्स वकील की हैसियत से प्रैक्टिस की। वे सन 1955 से सन 1969 तक म्यूनिस्पिल कमेटी बुडलाडा के प्रंजीडैन्ट रहैं। वे तकरीबन पांच साल तक पंजाव प्रदेश जनसंध के प्रैजीडैन्ट रहैं और अगस्त सन 1988 में भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट के सदर चुने गये। वे सन 1967 से सन 1970 तक पंजाब विधान सभा के मैम्बर रहैं। वे सन 1977 से सन 1980 के दौरान पंजाब में ऐक्साइज एन्ड टेक्सैशन मिनिस्टर रहैं। सितम्बर सन् 1988 में हत्यारों की गोलियों का शिकार होने के वक्त वे भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट के प्रंजिडैन्ट थे।

उनके निधन से देश एक योग्य प्रशासक अनथक वर्कर और एक अनुभवी लेजिस्लंटर की सेवाओं से वंचित हो गया णै।

यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

डा० नगेन्द्र सिंह, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के भूतपूर्व अध्यक्ष

यह सदन अन्तर्राष्ट्रीय न्याय कोर्ट के साबिक सदर डाक्टर नगेन्द्र सिंह के 11 दिसम्बर, सन 1988 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

डाक्टर नगेन्द्र सिंह का जन्म 18 मार्च सन् 1914 को डुगरपुर राजस्थान में हुआ। वे सन 1947 और सन 1948 में भारत संविधान सभा के मैम्बर रहैं। वे आई० सी०एस० अधिकारी थे और कई अहम सरकारी औहदों के अलावा भारत के राष्ट्रपति के सैक्रेटरी भी रहैं। इन्होंने सन 1970 में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मैरीटाईम सैशन की अध्यक्षता की। वे सन 197० से सन 1972 तक भूटान सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्हैं सन 1973 में पद्मविभूषण से सम्मानित किया गया। वे देश के सर्वाधिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों में से एक थे और प्रसिद्ध लेखक थे। वे सन् 1976 में अन्तर्राष्ट्रीय न्याय कोर्ट के वाइस प्रैजीडैन्ट बने। वे पहले भारतीय थे जो सन 1985 में अन्तराष्ट्रीय कोर्ट के सदर रहैं।

उनके निधन से देश एक प्रसिद्ध बिधिवेता की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सरदार हरभजन सिंह, पंजाब के भूतपूर्व मंत्री, श्री देसराज, पंजाव के भूतपूर्व मन्त्री, थी भगवान दास, पंजाब के भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्री किरपाल सिंह, संयुक्त पंजाब के भूतभूर्व विधायक, सरदार शमशेर सिंह डमरी, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व

विधायक और पंडित अमर नाथ शर्मा, संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक

यह सदन पंजाब के साबिक मन्त्री, सरदार हरभजन सिंह, पंजाब के साबिक मन्त्री, श्री देस राज, पंजाब के साबिक राज्य मन्त्री, श्री भगवान दास, मुतहिदा पंजाब के साबिक एम० एल० ए० श्री किरपाल सिंह, मुतहिदा पंजाब के साबिक एम० एल० ए०, सरदार शमशेर सिह ढंढारी और मुतहिदा पंजाब के साबिक एम० एल० ए०, पंडित अमर नाथ शर्मा के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री श्याम नाथ कक्कड़, भूतपूर्व केन्दीय मंत्री, भी अनंत प्रशाद शर्मा, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री चौधरी नीति राज सिंह, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री, थी पी० शालू आओ, नागालैंड के प्रथम मुख्य मंत्री, श्री एल० नरसिंह नायक, संसद सदस्य और टी० एस० गुरुंग, संसद सदस्य

यह सदन साबिक केन्द्रीय मन्त्री, श्री श्याम नाथ कक्कड़, साबिक केन्द्रीय मन्त्री, श्री अनंत प्रसाद शर्मा, साबिक कईन्द्रीय मंत्री, चौधरी नीति राज सिंह, नागालैड के पहले मुख्य मंत्री, श्री पी० शालू आओ, मैम्बर पार्लियामैंट, श्री एल० नरसिंह नायक और

मैम्बर पार्लियामैंट श्री टी० एस० गुरुंग के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदत उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना करता प्रकट है।

न्यायमूर्ति श्री० एम० एच० वेग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भी जैनेन्द्र कुमार प्रसिद्ध हिन्दी लेखक, पं० नरेन्द्र शर्मा, प्रसिद्ध हिन्दी लेखक एवं गीतकार और श्री सफदर हाशमी, प्रसिद्ध मंच कलाकार

यह सदन भारत के सादिक चीफ जस्टिस, श्री एम० एच० बैग, प्रसिद्ध हिन्दी लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार, प्रसिद्ध हिन्दी लेखक और गीतकार, पंडित नरेन्द्र शर्मा और प्रसिद्ध स्टेज आर्टीस्ट श्री सफदर हाशमी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

सोवियत रूस में आए भारी भूकम्प में मारे गए हजारों लोग

यह सदन 8– 12– 1988 और 23– 1– 1989, को सोवियत रूस में आये भूचाल में हजारों शहरियों के अचानक दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह मानव जाति के

लिए एक बड़ा नुक्सान था जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया।

यह सदन शोक में डूबी हुई सोवियत रूस की जनता ओर गवर्नमैंट के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

कैथल में आतंकवादी हिंसा में मारे गए 25 निर्दोष लोग

यह सदन 22 नवम्बर, 1988 को कैथल में उग्रवादी हिंसा का शिकार हुए 25 बेकसूर लोगों के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह मानव जाति के विरुद्ध एक अपराध और राष्ट्र के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही थी।

यह सदन उनके शोक में डूबे हुए परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

मेजर जनरल बी० एन० कुमार चेयरमैन, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड

यह सदन भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड के चेयरमैन जनरल बी०एन० कुमार, की 7 नवम्बर, 1988 को हुई हत्या पर गहरा शोक प्रकट करता हैं।

जनरल बी० एन० कुमार का जन्म 13 जुलाई, 1933 को हुआ। वह देश के एक माने हुए इंजीनियर और एक महान सैनिक अधिकारी थे। वह 1949 में फौज में भर्ती हुए। देश के प्रति अपनी अभूतपूर्व सेवाओं के फलस्वरुप उन्होंने मेजर जनरल का महान पद

प्राप्त किया। 28 फरवरी, 1986 को उन्हें भाखड़ा व्यास मैनेजमैंट' बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया।

उनके निधन से देश एक अनुभवी इंजीनियर, एक योग्य सैनिक अधिकारी तथा कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है।

यह सदन उनके परिवार के साथ अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव रखा है अपनी और अपने दल की ओर से मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, विधान मंडल में एक परिपाटी है। एक सत्र और दूसरे सव के बीच में अगर कुछ विभूतियां इस संसार से उठ जाएं तो उनके प्रति शोक प्रकट करने की परिपाटी है। उस परिपाटी का वहन करते हुए यह जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका अनुमोदन करना चाहता हूं। कुछ ऐसे व्यक्तियों का इसमें खुभ नाम आया है जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। श्री मेहर चन्द जी, अगर मैं नहीं भूलता, तो वह 1972 में बड़ोपल से विधायक इसी सदन में रहें हैं। उनके सुपुत्र हरियाणा के आई० ए० एस० काडर में आफिसर हैं। वे उनके पूज्य पिता जी थे। उस समय उनके सुपुत्र रोहतक में लगे हुए थे। वे जब भी गाँव से रोहतक अपने पुत्र से मिलने के लिए आते तो, मेरा निवास स्थान चूंकि वहां पर है,

इसलिए हमारी अकसर वहाँ पर मुलाकात हो जाती। उन दिनों हरियाणा में कांग्रेस सरकार के खिलाफ संघर्ष चल रहा था। वे कुछ देर बैठकर बात किया करते थे। बड़े ही भले और सज्जन आदमी थे। जैसे मुख्य मन्त्री जी ने कहा, किसान के मामले में उनको बड़ी चिन्ता रहती थी। ऐसे व्यक्ति के चले जाने से समाज में निश्चित तौर पर एक ऐसी क्षति हुई हैं जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती।

16.00 बजे।

अध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में श्री हिताभिलाषी का भी नाम दर्ज है। श्री कुमार के बारे में मुख्य मन्त्री महोदय ने अभी फरमा दिया है। एक दो और लोग हैं जिनकी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या की है। स्पीकर साहब, हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में इन आतंकवादियों ने०धम मचा रखा है। ये देश द्रोही देश के टुकड़े करना चाहते है। जो बात ये वार्ता द्वारा नही मनवा सके, उसको हिंसा द्वारा मनवाना चाहते हैं। हिताभिलाषी जी समाज के०ंचे व्यक्तियों में से एक थे। जैसा कि उनके जीवन का परिचय हमारे सदन के नेता ने दिया है। वे जन्म से ही बड़े प्रतिभावान थे और उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। वे बुढलाडा नगरपालिका के अध्यक्ष रहैं। मेरी पार्टी में होने के कारण मुझे उन्हैं नजदीक से देखने का मौका मिला। उनके जीवन में ऐसा भी मौका आया जबकि उन्होंने पार्टी के फैसले को मानने में तनिक भी देरी नहीं की। विधान परिषद के

लिए उनका नाम और ठाकुर नसीब सिंह का नाम सामने आया। हिताभिलाषी जी ने अपना नौमिनेशन पेपर भी भर दिया। नसीब सिंह और उनके बीच टाई पड़ी। नसीब सिंह के नाम का फैसला हुआ। हिताभिलाषी ने कोई दुख माने बिना अपना नाम वापिस ले लिया। अध्यक्ष महोदय, वे इस तरह के अनुशासन प्रिय कार्यकर्त्ता थे। बडे दुख की बात है कि आतंकवादियों के हाथों वे मारे गए। आज तक मारने वालों का कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने भी कह दिया कि पता नहीं कि मारने वाले कौन थे। स्पीकर साहब, यह फोरम तो नहीं है कि वे यू० टी० पुलिस की निन्दा करुं लेकिन पुलिस को बार– बार कहने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, ऐसे महान आदमी को समाज भूल नहीं सकेगा। उनका खून व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तक एक भी शुभ चिन्तक रहैंगा, आतंकवादियों की मनोकामना पूरी नहीं हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० नगेन्द्र सिंह का भी नाम आया है। इसी लिस्ट में पंजाब के भूतपूर्व मन्त्री सरदार हरभजन सिंह और श्री देश राज का नाम भी णै और भी दिवंगत महानुभावों का नाम इस सूची में है। अध्यक्ष महोदय, श्री देश राज बहुत ही सज्जन आदमी थे। कांग्रेस में बहुत ही कम सज्जन आदमी होते हैं लेकिन ये एक ऐक्सैप्शन थे और ये बहुत ही सज्जन पुरुष थे। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं भूलता नहीं तो पंजाब के भूतपूर्व विधायक श्री किरपाल सिंह भी बहुत ही सज्जन पुरुष थे। इसी लिस्ट में आगे लोक सभा

के सदस्य, केन्द्रीय मन्त्री श्री श्याम नाथ कक्कड, श्री अनन्त प्रसाद शर्मा, श्री नीति राज सिंह और नागालैड के प्रथम मुख्य मन्त्री श्री पी शालू आओ आदि अनेक नाम गिनाए गए हैं जोकि इस संसार से चले गए हैं। मैं इनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। डा नगेन्द्र सिंह न्यायमूर्ति के प्रति भी मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, रूस में जो भूकम्प आया और जो लोग उसमें मारे गए, उनके प्रति भी इस सदन ने संवेदना प्रकट की है। अगर संसार के किसी भाग में ऐसी हृदय विदारक दुर्घटना हो जाए जिससे पूरा विश्व हिल जाए तो उनके प्रति भी शोक प्रकट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कैथल में आतंकवादी नर संहार कर गए। चौधरी सम्पत सिंह जी यहां बैठे हैं। उन्होंने बार–बार कहा कि उग्रवाद का यहां पर कोई काम नहीं है। राज्यपाल महोदय ने भी कहा है कि हरियाणा सरकार को आतंकवाद के भय को समाप्त करने के लिए सजग रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आतंकवादियों द्वारा अभी भी ऐसे खेल खेले जा सकते हैं जिससे शांति भंग हो सकती है इसलिए हरियाणा सरकार को सचेत रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज अखबार में पढ़कर बड़ा कष्ट हुआ। गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ जिसको स्वामी श्रद्धानन्द ने बनाया था वहां स्वामी शक्तिवेश की हत्या कर दी गई। आज वह गुरुकुल पोलिटिक्स का अखाड़ा बना हुआ है। पुलिस कप्तान का ही वक्तव्य है कि चार–पांच दिनों से कुछ हत्यारे उनके पीछे लगे हुए थे। उनकी हत्या कर दी गई पुलिस उनको बचा न सकी। स्वामी जी अपने किसी शिष्य के लग्न या सगाई पर गए थे लेकिन

वापिस लौटते हुए आतंकवादियों ने, उनके शत्रुओं ने उनका सफाया कर दिया। बड़े दुःख की बात है कि पुलिस भी उनकी रक्षा न कर सकी। वे सन्यास लेने से पहले वैदिक का काम करते थे। उनका असली नाम किशन चन्द गौड था। झज्जर के रहने वाले थे। बड़े सज्जन पुरुष थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा मुख्य मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि ऐसे महानुभाव का नाम भी इन दिवंगत आत्माओं की सूची में जोड़ दिया जाए। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी व अपने दल की ओर से इन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धाँजलि अर्पित करता हू और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे इनके शोक संतप्त परिवारों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

चौधरी महैंन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस हाउस के सामने जो शोक प्रस्ताव रखा है, उसमें, मैं अपने दल की ओर से और अपनी ओर से, शरीक होता हूं व अपनी भावनाओं को उनके साथ जोड़ता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकृति का विधान है और उसी निरन्तर प्रक्रिया के मुताबिक पिछले सैशन और इस सैशन के दौरान अनेक महान विभूतियां हमारे बीच से चली गई हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहैं मेरा व्यक्तिगत रूप से इन महान् विभूति–यों के साथ ताल्लुक न रहा हो, लेकिन जो लिस्ट यहां पर दी गई है, उससे पता लगता है कि अनेक सांसद, मन्त्री, उप मन्त्री, महान लेखक और दूसरे महानुभाव हमारे बीच में से चले गये हैं जिन्होंने इस

देश, प्रदेश की किसी न किसी रूप में सेवा अवश्य की है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्षति को पूरा करना तो इन्सान के वश में नहीं है लेकिन हम कम से कम उनके शोक में तो शामिल हो सकते हैं और अपनी सच्ची श्रद्धांजलि तो उनको अर्पित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी डाक्टर साहब ने हिताभिलाषी जी का यहां पर जिकर किया और वे भावावेश में आकर बहुत कुछ कह गये कि पुलिस वाले उनकी रक्षा करने में असमर्थ रहैं। ऐसी बात नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि पुलिस बल चाहैं वह पंजाब की हो, हरियाणा की हो, या कहीं और की हो, वे जिस किसी कोने में भी हैं, आतंकवादियों के साथ पूरी ताकत से जूझ रहैं हैं। इस तरह कहकर पुलिस का मनोबल गिराना नहीं चाहिये। पुलिस बल वाले अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहैं हैं कि आतंकवाद से पूरी ताकत के साथ निपटा जाए।

इसी तरह से डा. नगेन्द्र जी का भी डाक्टर साहब ने जिकर किया। उन्होंने देश के गौरव को विदेशों में भी बढ़ाया। ऐसे ऐसे महानुभाव जो हमसे बिछुड़ गए है, उनके प्रति हम नत–मस्तष्क हैं। हम इनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सोवियत रूस में आये भूचाल के कारण हजारों लोगों के दब कर मर जाने का दृष्य बड़ा ही हदय विदारक था। अध्यक्ष महोदय, हमने वह दृश्य देखा नहीं है लेकिन उस दृश्य को सुनने से ही जहां हजारों लोगों की चिताएं बनाई गई हों और क्रियाक्रम इकट्ठा किया गया हो, मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कैथल के अन्दर जो नर संहार किया गया वह निन्दनीय है। उस बारे में, हम सब को मिल कर घोर निन्दा करनी चाहिये। एक दूसरे के०पर दोषारोपण न करके हमें एक जुट होकर इस आतंकवाद का सामना करना चाहिये। यह किसी एक पार्टी का मामला नहीं है बल्कि यह सारे देश का मामला है। इसलिये मेरी सभी भाईयों से प्रार्थना है कि हम सब एक लुट होकर इस आतंकवाद की निन्दा करें और इस का डट कर मुकाबला करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले के एक महान् सन्यासी की हत्या कर दी गई और डाक्टर साहब ने इस बारे में बोलते हुए यह बताया कि उनका पिछले पांच छरू दिनों से गुण्डा ऐलीमैंट पीछा कर रहा था जिसकी पूलिस को खबर थी लेकिन फिर भी हम उन्हे नहीं बचा पाए। अध्यक्ष महोदय, यह कानून और व्यवस्था के लिए एक बड़ा ही चिन्ता का विषय है। जब हम को यह पता था कि कुछ गुण्डा ऐलीमैंट उनके पीछे लगे हुए हैं इस के बावजूद भी हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी व अपनी पार्टी की ओर से इन सभी महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इन शोक संतप्त परिवारो को यह दुःख सहने की शक्ति दे।

श्री हरनाम सिंह (शाहबाद): स्पीकर साहब, इस महान सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव पेश किया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उसके साथ अपने आप को

जोड़ता हूं। सबसे पहले मैं श्री हिताभिलाषी, जो पंजाब की भारतीय जनता पार्टी के प्रैजीडैटं थे, के बारे में कहना चाहता हूं। डा साहब ने उनके बारे में बहुत कुछ कहा है लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जिस वक्त पंजाब के अन्दर आतंकवादियों ने हिन्दुओ को मारना शुरू किया और हिन्दू–सिक्स में लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश की तो हिन्दुओं के अन्दर भी री–एक्शन के तौर पर विचार पैदा हो गया कि हम भी इस तरह के हमले करें। उस वक्त हिताभिलाषी जी ने कहा कि नहीं, यह तो उन्हीं की चाल है, अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो उन्हीं की चाल कामयाब होगी। ऐसा करके उन्होंने देश भक्ति की जिम्मेदारी को पूरा किया। देश की एकता का वह रक्षक आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

सफदर हाशमी एक अच्छे जन कलाकार थे। जनता के लिए वे अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। उनकी हत्या एक राजनैतिक हत्या थी। गाजियाबाद के अन्दर सरमाएदारों और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन पर उस वक्त हमला किया जब वे अपनी कला का प्रदर्शन कर रहैं थे। इस बात की निन्दा सारे देश ने की है और खास कर कलाकारों ने इसकी तीब्र रूप से निन्दा की है। कोई भी राजनैतिक हत्या गल्त है। यर देश को बुरे रास्ते की तरफ ले जाती है। हमें इसका विरोध करना चाहिए चाहैं यह किसी भी पार्टी का काम हो।

सोवियत यूनियन में अर्मीनिया में पचास हजार से ज्यादा लोगों की जानें गईं और लाखों मकान बर्बाद हो गए। हमारी हमदर्दी उन लोगों के साथ है। हमारा देश मानवतावादी है और हम दूसरे के दुःख को अपना दुःख समझते हैं। इसलिए हम भी उनके दुःख में शरीक हैं।

स्पीकर साहब, कैथल हत्या कांड के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आतंकवादियों के हमले हुए हैं जैसे लालडू के पास, फतेहाबाद में, कुरूक्षेत्र में, पिहोवा और अम्बाला में 1988 में हमले हुए। इनमें से कैथल का सबसे बडा हत्याकाड था। मैं कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा लेकिन इसमें केन्द्र रुकावट डाल रहा है। कई महीने हो गए केन्द्रीय सरकार ने एक कैबिनिट सब–कमेटी मुकर्र की थी और कहा था कि हम पंजाब के मामले पर सभी पार्टीज की मीटिंग बुलाएंगे लेकिन वह मीटिंग अब तक नहीं बुलाई गई। मैं समझता हूं कि इस देरी करने के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं जो सैटंर में बैठे हैं। अगर हम मिल कर चलें तो यह समस्या जल्दी खत्म हो सकती है। मैं चाहता हूं कि हमारा यह महान सदन इस बात पर विचार करे कि पंजाब के अन्दर जो विनाश हो रहा है और रोज मानव कत्ल हो रहैं हैं, उसका अन्त हो। इसके लिए सभी पार्टीज मिल कर बैठे और केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए जो अभी तक नहीं निभाई गई।

डा० नगेन्द्र सिंह जी हिन्दुस्तान के उच्च कोटि के नीतिवान थे। वे अन्तर्राष्टीय कोर्ट के उप सभापति बने। वे हिन्दुस्तान के बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने सारी दुनियां में हिन्दुस्तान का नाम चमकाया। उनके निधन से भी हमें बहुत दुःख हुआ है। हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इसके अलावा जो दूसरे हमारे बजुर्ग हमारे से अलग हुए हैं हम उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जो दुखी परिवार हैं, उनके साथ अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, इन थोड़े महीनों में जो महान शक्तियां हमारे बीच में नहीं रहीं, उनके बारे में आज मुख्य मंत्री जी ने शोक प्रस्ताव रखा है। यह बहुत ही दुःख की बात है कि वे महान शक्तियां आज हमारे बीच में नहीं हैं जिन्होंने देश को उठाने के लिए और प्रान्तों को उठाने के लिए तथा गरीब जातियों को०पर उठाने के लिए बहुत काम किया।

चौधरी मेहर चन्द 1972 से 1977 तक मेरे साथ एम० एल० ए० रहैं। मुझे याद है वे सामने बैठा करते थे और जब वे डिबेट में हिस्सा लेते थे तो शेयर के साथ अपनी डिबेट शुरू करते थे और शेयर के साथ ही अपनी डिबेट खत्म करते थे। वे बहुत ही अच्छे ओरेटर थे। वे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। रूल्ज और प्रोसीजर का उन्हैं इतना पता था शायद उतना पता किसी और मैम्बर को नहीं था। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं।

इसी तरह से सरदार शमशेर सिंह ढंडारी हमारे बीच नहीं रहैं। उन्हैं मैं बहुत ही नजदीक से जानता हूं। वे उन दिनों अकाली पार्टी से एम छ एल० ए० थे जिन दिनों कांग्रेस पार्टी की टिकट के सिवाय कोई एम० एल० ए० नहीं बन सकता था। वे तीन टमर्ज तक अकाली पार्टी की टिकट पर एम० एल० ए० बने। वे इन्सानियत के पुतले थें और बहुत ही नेक आदमी थे। वे 1962 में डाक्टर साहब के साथ एम० एल० ए० रहैं। उन्होंने अपने इलाके और सूबे में बहुत काम किए। इसके साथ–साथ और भी बहुत दुःख की घटनाएं हुई हैं लेकिन बहुत ही दुःख की घटना कैथल में मास किलिंग की हुई। लेकिन मैं एक मनुष्य की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। कैथल होस्पीटल में जब हमारे सारे मन्त्री महोदय पहुंच गए तो उस समय उस बुजुर्ग आदमी ने बड़ी अकलमंदी का काम किया। वहां पर बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी और उस समय वहां पर कुछ भी हो सकता था लेकिन उस बुजुर्ग आदमी ने इतनी भीड़ को देखकर यह अहसास किया कि कोई गलत बात न हो जाए। उसने मौब का ध्यान हटाने के लिए और लोगों का मूड बदलने के लिए अपनी चादर बिछा दी और लोगों को यह कहना शुरू कर दिया कि जो लोग मर गए हैं या जो लोग जख्मी हो गए हैं उनके लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे और खून इकट्ठा करेंगे इससे उन सभी लोगों का सारा ध्यान उन व्यक्तियों के लिए खून और पैसा इकट्ठा करने की तरफ चला गया। इस तरह से उस बुजुर्ग आदमी ने सरकार के साथ मिल कर जिस बात का डर था, उस बात को होने से बचाया।

यह बड़े दु:ख की बात है कि बहुत से हमारे प्यारे सज्जन आज हुमारे बीच में नहीं हैं लेकिन यह तो सब परमात्मा के हाथ में है किसी के हाथ मे नहीं है। हर साल, हर महीने, हर समय जब भी हमारा सैशन होता है इसी तरह से शोक प्रस्ताव पास करने पड़ते हैं। मैं सभी दिवंगत महानुभावों को होमेज पे करता हूं और हाउस की डीप सिम्पर्थाज को ब्रीब्द फैमिलीज तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं हाउस से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े हो कर दो मिनट के लिए मौन व्रत रखें और उनको याद करें।

(इस समय दिवगत व्यक्तियों के सम्मान में सदन के सदस्यों ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया) विभिन्न विषयों का उठाया जाना

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन आपकी सेवा में आज दी थी। हमारी सरकार ने अपने कर्मचारियों को रियायतें तो काफी दी हैं लेकिन फिर भी उनकी कुछ मांगे हैं जिनके लिए वे यहां पर आए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उनकी मांगों के समाधान के बारे में क्या सोचा है?

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, अभी तक आपकी काल अटैन्शन मोशन मेरे पास पहुंची नहीं है। आप इस बारे में कल बात करना।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, एक बात मैं कान्क्रैड के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले दिनों वहां से करीब 600 कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, इस संबंध में मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन आपको दिया था।

श्री अध्यक्षः आप दोनों ही इस बारे में कल बात करना।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा–

(1) पैनल औफ चौयरमैन

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, हरियाणा विधान सभा के रूल्ज औफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 13(1) के अनुसार मैं फौलोइंग मैम्बर्ज को पैनल आफ चेयरमैन में काम करने के लिए नौमिनेट करता हूं–

1. श्री आत्मा राम गोदारा

2. श्री शिव प्रसाद

3 श्री योगेश चन्द शर्मा

4. श्री महैंन्द्र प्रताप सिंह

(2) कमेटी ओन पैटीशन्ज

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहैंबान, हरियाणा विधान सभा के रुल्ज औफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजनैस के रूल 286(1) के अनुसार मैं फौलोइंग मैम्बर्ज को कमेटी औन पैटीशन्ज में काम करने के लिए नौमिनेट करता हूं:–

1. श्री कुलबीर सिंह मलिक, उपाध्यक्ष, पदेन सभापति

2. श्री भगवान सहाय रावत

3. श्री आत्मा राम गोदारा

4. श्री दुर्गा दस अत्री

5. श्री सुरेन्द्र कुमार मदान

(ख) सचिव दारा–

(1) राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः अब सेक्रेटरी साहिब अनाउन्समैंट करेंगे।

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its August Session, 1988, and have since been assented to by the Governor.

Statement

1. The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill, 1988.

2. The Punjab New Townships (Street Lighting and Water Supply) Fees Haryana Repeal Bill, 1988.

3, The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Bill, 1988.

4. The Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1988.

5. The Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1988.

6. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1988.

(2) कांस्टीक्यूशन (82 वां अमेंडमेंट) बिल, 1988 की रैटीफिकेशन संबंधी

Secretary : Sir, I also beg to lay on the Table of the House a copy each of the following documents received from the Council of States regarding the ratification of the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988 :—

(i) Letter dated the Ist February, 1989, received from the Additional Secretary, Rajya Sabha, New Delhi ;

(ii) the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988, (English and Hindi versions), as introduced in the House of People ;

(iii) the Constitution (Sixty-Second Amendment)

Bill, 1988, (English and Hindi versions), as passed by the Houses of Parliament;

(iv) Lok Sabha Debate on the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988 ; and

(v) Rajya Sabha Debate on the Constitution (Sixty-Second Amendment) Bill, 1988.

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

श्री अध्यक्षः अब मैं बेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया टाईम टेबल रिपोर्ट करता हूं–

"The Committee met at 10.00 A.M. on Tuesday, the 21st February, 1989 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in session, shall meet on Monday, at 2.00 P.M., and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday at 9.30 A.M, and adjourn at 1.30 P.M. without question being put. However, on Tuesday, the 21st February, 1989 the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and on Tuesday, the 7th March, 1989 at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put.

The Committee further recommends that on Friday, the 3rd March, 1989 there will be no sitting of the Sabha.

The Committee also recommends that on Monday

the 20th March, 1989 the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the list of Business for the day.

The Committee, after some discussion, also recommends that the Business on 21st February to 24th February, 1989, 27th February to 2nd March, 7th March to 10th March, 13th March to 17th March, 1989 and on 20th March, 1989, be transacted by the Sabha as follows :—

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's address on the 21st February, 1989.	1.	Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House.
	2.	Obituary References.
	3.	Presentation and adoption of the First Report of the Business Advisory Committee .
	4.	Papers to be laid/re-laid on the Table of the House.
	5.	Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final Reports thereon.
Wednesday, the 22nd	1.	Questions Hour.

February, 1989 (9.30 A.M.)		
	2.	Motion under Rule 22(2).
	3.	Motion under Rule 30.
	4.	Official Resolution.
	5.	Discussion on Governor's Address.
Thursday, the 23rd February, 1989 (9.30 A . M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Papers to be laid on the Table of the House.
	3.	Leave to introduce and introduction of Government Bills.
	4.	Motion under Rule 121.
	5.	Resumption of discussion on Governor's Address.
Friday, the 24th February, 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Resumption of discussion on Governor's Address and voting on Motion of Thanks.
Saturday, the 25th February,		Off day.

1989.		
Sunday, the 26th February, 1989.		Holiday
Monday, the 27th February, 1989 (2.00 P.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Legislative Business.
Tuesday, the 28th February, 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Supplementary Estimates for the year 1988-89 and the Report of Estimates Committee thereon.
	3.	Legislative Business.
Wednesday, the 1st March, 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Discussion and Voting on Supplementary Estimates for the year 1988-89.
Thursday, the 2nd March, 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Non-Official Business.

Friday, the 3rd March, 1989		Off day
Saturday, the 4th March, 1989		Off day
Sunday, the 5th ,March, 1989		Holiday
Monday, the 6th March, 1989		Holiday
Tuesday, the 7th March, 1989 (2.00 P.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Legislative Business.
Wednesday, the 8th March 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of the Budget for the year 1989-90
Thursday, the 9th March, 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Non-Official Business.
Friday, the 10th March, 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	General Discussion on the Budget for the year 1989-90
Saturday, the 11th March,		Off day.

1989		
Sunday, the 12th March, 1989		Holiday.
Monday, the 13th March, 1989 (2.00 P.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Resumption of General Discussion on the Budget for the year 1989-90
Tuesday, the 14th March, 1989 (9.30 A. M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Resumption of General Discussion on the Budget for the year 1989-90 and reply by the Finance Minister.
Wednesday, the 15th March, 989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Discussion and Voting on Demands for grants on the Budget for the year 1989-90.
Thursday, the 16th March, 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Assembly

		Committees Reports.
	3.	Non-Official Business.
Friday, the 17th March, 1989 (9.30 A.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Presentation of Assembly Committees Reports.
	3.	The Haryana Appropriation Bill, 1989 in respect of Supplementary Estimates for the year 1988-89.
	4.	The Haryana Appropriation Bill, 1989 in respect of the Budget for the year 199-90.
Saturday, the 18th March, 1989		Off day
Sunday, the 19th March, 1989		Holiday.
Monday, the 20th March, 1989 (2-00 P.M.)	1.	Questions Hour.
	2.	Motion under Rule 15 regarding Non-stop Sitting.
	3.	Motion under Rule 16 regarding

		Adjournment of the Sabha Sine-die.
	4.	Legislative Business.
	5.	Any other Business."

अब पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर प्रस्ताव करेंगे कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करता

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh) : Sir, **I** beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ–

कि यह हाउस बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि यह हाउस बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की फर्स्ट रिपोर्ट में दी गई रिकमैंडेशन्ज से सहमति प्रकट करता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए/पुनः रखे गए कागज पत्र

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब टेबल औफ दि हाउस पर पेपर ले/री–ले करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Sh. Verender Singh) : Sir, I beg to lay on the Table-

1. The General Administration Department Notification No. G. S. R. 84/Const./Art. 320 Amd . (IV) /88, dated the 3rd November, 1988, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Fourth Amendment Regulation, 1988, as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

2. The General Administration Department Notification No. G. S. R. 82/H. A. 9/79/S.8 (1)/88, dated the 21st October, 1988 regarding the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) First Amendment Rules. 1988, as required under Section 8 (3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

3. The General Administration Department Notification No. G. S. R. 83/H. A. 19/86/S. 4/88, dated the 28th October, 1988 regarding the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Rules, 1988, as required under Section 4 of the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Act, 1986.

4. The Social Welfare Department Notification No. G. S. R. 56/ C. A. 53/86/S. 62/88, dated the 27th July, 1988 regarding the Haryana Juvenile Justice Rules,1988, as required under Section 62 (3) of the Juvenile Justice Act, 198'6.

5. The Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 80/H.A. 20/78/S. 64/88, dated the 19th October, 1988 regarding the Haryana General Sales Tax (2nd Amendment) Rules, 1988, as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

6. The Health Department Notification No. G. S. R. 97/H. 21 86/5.-3/88, dated 8th December, 1988 regarding the Haryana Medical Education Service Rules, 1988, as required under Sub-section 3 of Section 3 of the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Act, 1986.

7. The Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 1983-84 as required under Section 19A, (3) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Powers and Condition of Service) Act, 1971.

8. The Annual Financial Accounts of Haryana Khadi and Village Industries Board for the year 1984-85, as required under Section 19-A (3) of the Comptroller and Auditer General of India (Duties, Powers and Condition of Service) Act, 1971.

9. The Grant Utilisation Certificate and Audit Report 1986-87 of Haryana Agricultural University, Hisar as required Under Section 34 (5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

10. The Annual Report for the year 1985-86 of the Haryana Agricultural University, Hisar, as required under Section 39 (3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

11(i) The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1986-87 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

(ii) The Appropriation Accounts or the Government of Haryana for the year 1986-87 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of - India.

(iii) The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1986-87 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

Sir, I beg to re-lay on the Table-

12. The General Administration Department Notification No. G. S. R./25 Const./Art. 320/Amd. (III) 88, dated 15th March, 1988 regarding the Haryana Public Service Commission, (Limitation of Functions) Third Amend ment Regulations, 1988 as required under Article 320 (5) of the Constitution of India.

13. The Excise & Taxation Department Notification No. G. S. R. 38/H. A. 20/73/S. 64 Amd. (1)/88, dated 30th April, 1988 regarding the Haryana General Sales Tax (First Amendment Rules), 1988, as required under Section 64 (3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

विशेषाधिकार समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(1) श्री हजारी लाल पुलिस उपाधीक्षक, जींद के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री आत्मा राम गोदारा, एम० एल ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी 12 सितम्बर, 1987 को श्री हजारी लाल, डिप्टीसुप्रिन्टैडेंट पुलिस, जींद द्वारा टेलीफोन पर श्री डी० डी० अत्री, एम० एल० ए० तथा हाउस के अगेन्स्ट मोस्ट डैरोगेटरी, इंस्लटिंग एंड कटैम्पचुअस लैग्वेज प्रयोग करने सम्बन्धी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न के ''इशू पर कमेटी की फोर्थ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजैंट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैशन के लिए मोशन मूव करेंगे।

श्री आत्मा राम गोदारा (चेयरमैन प्रिविलेजिज कमेटी): अध्यक्ष, महोदय मैं, श्री हजारी लाल, पुलिस उपाधीक्षक, जीन्द के विरुद्ध उन द्वारा 12–9– 1987 को टेलीफोन पर श्री डी०डी० अत्री, एम०एल०ए० तथा सदन के विरूद्ध अत्याधिक अप्रतिष्ठाकारी, अपमानपूर्ण तथा तिरस्कारपूर्ण भाषा प्रयोग करने संबंधी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न संबंधी मामले पर विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि सदन को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैटं करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है—

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैडं कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम०एल० एज० के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री आत्मा राम गोदारा, एम० एल० ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, श्री इन्द्र सिह नैन और श्री भले राम, एक्स एम० एल० एज० द्वारा 21 दिसम्बर, 1987 को सैशन में उपस्थित होने के लिये हरियाणा विधान सभा की ओर आते समय माननीय मुख्य मन्त्री तथा सर्वश्री वासुदेव शर्मा, मांगे राम तथा धीरपाल, एम० एल० एज० को रोकने तथा हाथापाई करने संबंधी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न संबंधी मामले पर समिति की थर्ड प्रिलीमिनरी रिपोर्ट प्रेजैंट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैन्शन के लिए मोशन मूव करेंगे।

श्री आत्मा राम गोदारा (चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी)० अध्यक्ष महोदय, मैं श्री इन्द्र सिंह नैन तथा श्री भले राम, भूतपूर्व एम० एल० एज० के विरुद्ध 21 दिसम्बर, 1987 को सत में उपस्थित होने के लिए हरियाणा विधान सभा की ओर आते समय माननीय मुख्य मन्त्री तथा सर्वश्री वासुदेव शर्मा, मांगे राम तथा धीरपाल, एम० एल० एज० को रोकने तथा हाथापाई करने संबधी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न संबंधी मामले पर विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि सदन को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैटं करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिंटिंग तक टाईम ऐक्सटैडं कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैंट करने के लिये नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैडं कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) साप्ताहिक पौंग के सम्पादक, मुद्रक तथा प्रकाशक श्री डी० आर० चौधरी के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री आत्मा राम गोदारा, एम० एल० ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, 26 अगस्त, 1988 को श्री डी० आर० चौधरी, ऐडीटर, प्रिंटर एण्ड पब्लिशर आफ दी वीकली पींग द्वारा आनरेबल मैम्बर्ज आफ दी हाउस एण्ड डिप्टी चीफ मिनिस्टर, श्री बी० डी० गुप्ता के अगेन्सट सीरियस ऐलीगेशंज आफ करप्शन एण्ड यूजिंग वैरी डैरोगेटरी लैंग्विज के इशू पर कमेटी की फर्स्ट प्रिलीमिनरी रिपोर्ट प्रेजैन्ट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैन्शन के लिए मोशन मूव करेंगे।

श्री आत्मा राम गोदारा (चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी): अध्यक्ष महोदय, मैं साप्ताहिक पोंग के सम्पादक मुद्रक तथा प्रकाशक, श्री डी० आर० चौधरी, के विरुद्ध उनके पत दिनांक 26–8–1988 में प्रकाशित इस सदन के माननीय सदस्यों तथा उप–मुख्य मन्त्री श्री बी० डी० गुप्ता के विरूद्ध भ्रष्टाचार का गम्भीर आरोप लगाने तथा अत्याधिक तिरस्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग करने सम्बन्धी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न सम्बन्धी मामले पर विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव पेश हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिए नैक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैन्ड कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) मैसर्ज जिन्दल इरीगेशन लिमिटिड, भिवानी के श्री राजेन्द्र चौधरी तथा फर्म अर्थात मै सर्ज जिन्दल ऐल्युमिनियम लिमिटिड तथा जिन्दल इरोगेशन लिमिटिड, बंगलौर के मालिक तथा प्रबन्ध निदेशक श्री सीता राम जिन्दल के विरुद्ध

श्री अध्यक्षः अब श्री आत्मा राम गोदारा, एम० एल०ए०, चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी, 27 मई, 1988 को श्री राजेन्द्र चौधरी एण्ड श्री सीता राम जिन्दल द्वारा श्री हीरा नन्द आये, एम० एल० ए० को थ्रैटनिंग औन फोन एण्ड टू स्यू हिम फार डैमोजिज ओन अकाउन्ट औफ डैफेमेशन के इशू पर कमेटी की फर्स्ट प्रिलिमिनरी

रिपोर्ट प्रेजैन्ट करेंगे तथा टाईम ऐक्सटैशन के लिए मोशन मूव करेंने।

श्री आत्मा राम गोदारा (चेयरमैन, प्रिविलेजिज कमेटी): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजेन्द्र चौधरी तथा श्री सीता राम जिंदल के विरूद्ध 27– 5 – 1988 को टैलीफोन पर श्री हीरा नन्द आर्य, एम० एल० ए० को धमकी देने सम्बन्धी अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्रश्न तथा मान–हानि के कारण हुई क्षति के लिए उन पर मुकद्मा चलाने सम्बन्धी मामले पर विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हू

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं–

कि सदन को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव पेश हुआ–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिए नेक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैंड कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि कमेटी की फाईनल रिपोर्ट प्रेजैन्ट करने के लिए नेक्सट सैशन की फर्स्ट सिटिंग तक टाईम ऐक्सटैडं कर दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक ऐडजर्न किया जाता है।

16.45 बजे

(तत्पश्चात सदन बुधवार, 22 फरवरी, 1989, प्रातः 9.30 बजे तक स्थागित हुआ।)